

02/06/17 पत्राचार आदि सम्बन्धित लोक उद्योग सम्बन्धी कार्य
2017 के मध्य हिंडी भाग पर प्रस्तुत हुई कार्य (कार्य)
प्रतिवादी का कठोरता / प्रयोग का अधिकतम पालन
कीने का स्वीकार किया जाता है / निर्णय कसौती लिखकर
आप/पत्राचार कसौती प्रस्तुत की / सम्बन्धित कार्य है

उपस्थित अधिकारी
भिल्लम

प्रकीर्ण सुभाष नं-1157
8414260317

1. प्रवीण कुमार पिता बलवन्त सिंह नैनावटी, निवासी गांधीनगर, छीपा अस्पताल गणेश मन्दिर के सामने, भीलवाडा —प्रार्थी

बनाम

1. कन्हैयालाल पिता हरजी कोली, निवासी सांगानेरी कॉलोनी, बडलेश्वर महादेव के पास, भीलवाडा।
2. रामेश्वर पिता केला माली, निवासी कोदूकोटा तहसील व जिला भीलवाडा।
3. छोटूलाल पिता केला माली, निवासी कोदूकोटा तहसील व जिला भीलवाडा।
4. प्रहलाद पिता केला माली, निवासी कोदूकोटा तहसील व जिला भीलवाडा।
5. रामलाल पिता मांगु माली, निवासी कोदूकोटा तहसील व जिला भीलवाडा।
6. सोहन पिता मांगु माली निवासी कोदूकोटा तहसील व जिला भीलवाडा।
7. गोपाल पिता मांगु माली, निवासी कोदूकोटा तहसील व जिला भीलवाडा।
8. धन्ना पिता मोहन माली, निवासी कोदूकोटा तहसील व जिला भीलवाडा।
9. हीरा पिता मोहन माली, निवासी कोदूकोटा तहसील व जिला भीलवाडा।
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

—विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राज.अधि., 1956

निर्णय

दिनांक 02.06.2017

प्रार्थी के अधिवक्ता की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज. भू-राज. अधि., 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 06.12.2016 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कोदूकोटा, पटवार हल्का कोदूकोटा, तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित प्रार्थी की आराजी संख्या 3790/1873 रकबा 00-17 बीघा, आराजी संख्या 3791/3639 रकबा 01-00 बीघा कुल किता 02 कुल रकबा 01-17 बीघा कृषि भूमि स्थित है। उक्त आराजी के विपक्षीगण पड़ोसी है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित, बहस सुनी गई। विपक्षीगण संख्या 01 से लगायत 09 उपस्थित नहीं होने से इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की गयी है। बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से निःसंदेह है कि प्रार्थी स्वयं के खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है, वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अभिलेख में किसी प्रकार से परिवर्तन होने का अंदेशा नहीं है तथा न ही किसी प्रकार के अधिकार निर्धारित किए जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम कोदूकोटा, पटवार हल्का कोदूकोटा, तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित आराजी संख्या 3790/1873 रकबा 00-17 बीघा, आराजी संख्या 3791/3639 रकबा 01-00 बीघा कुल किता 02 कुल रकबा 01-17 बीघा कृषि भूमि की पत्थरगढी उक्त आराजी में फसल कट जाने के पश्चात 15 दिवस में उभय पक्षकारान को विधिवत नोटिस जारी कर तामील करा उभय पक्षकारान की उपस्थिति में करा देंगे। प्रार्थी इस कार्य के लिये तहसील भीलवाडा में 200/- अक्षरे दो सौ रुपये बतौर खर्चा सरकारी मद में राजकोष में जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/- रुपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार भीलवाडा विधिवत पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट भिजावे।

आदेश आज दिनांक 02.06.2017 को पृथक से लिखाया जाकर शामिल फाईल किया गया। पत्रावली फौसल शुमार की जाकर दाखिल दफतर की जावे।